संख्या–4074 / आठ–3–2006–55 विविध / 2002(आ.ब.)(टी.सी.)

प्रेषक,

के. एल. मीना

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2006**

विषय : महायोजना क्रियान्वयन हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के अधिकांश विकास क्षेत्रों की महायोजनायें शासन के अनुमोदनोपरान्त लागू की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार महायोजना बनाये जाने के साथ–साथ अथवा उसके तुरन्त पश्चात धारा–9 के अधीन जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स बनाये जाने की अनिवार्यता है। इस क्रम में शासनादेश संख्या : 2184 / 8–3–05–55 विविध / 2002, दिनांक 25–5–2006 तथा शासनादेश संख्या : 2184 / 8–3–4–2006–55विविध / 2002, दिनांक 20–2–2006 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को जोनल डेवलेपमेन्ट प्लान्स शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु पर्याप्त समय बीत जाने के उपरान्त भी अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है।

2– अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स तैयार किये जाने हेतु कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

2.1 जिन विकास क्षेत्रों की महायोजनायें तैयार हो गयी हैं, उनके जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियानुसार तैयार कराकर एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें लागू किया जाये।

2.2 जिन विकास क्षेत्रों की महायोजनायें कालातीत हो चुकी हैं एवं नई महायोजनायें नहीं बन पाई हैं, उन प्राधिकरणों द्वारा विद्यमान महायोजना को ही आधार मानते हुए जोनल प्लान्स इस प्रकार से बनाए जायें कि नई / पुनरीक्षित महायोजना में उनका समावेशन किया जा सके।

2.3 यदि अपरिहार्य कारणों से जोनल डेवलपमेन्ट प्लान बनने में समय लगने की सम्भावना हो तो उस दशा में नये विकास को सुनियोजित दिशा प्रदान करने हेतु अन्तरिम व्यवस्था के रूप में प्राधिकरणों द्वारा जोनल स्तर का सरकुलेशन/रोड नेटवर्क प्लान तैयार करवा कर उसे प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाये तथा जोनल डेवलपमेन्ट प्लान बनाते समय उक्त सरकुलेशन प्लान का समायोजन जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में किया जाना सुनिश्चित किया जाये। सरकुलेशन प्लान में सड़कों की चौड़ाई महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग/उपयोगों की सघनता/डेन्सिटी को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त महायोजना स्तर के प्रस्तावों को यथावत् रखते हुये, यदि आवश्यक हो, तो जोनल स्तर की सुविधाओं हेतु मानकों के अनुसार भूमि आरक्षित की जाये।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में प्रस्तावित शहरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अविकसित क्षेत्र में स्थित किसी भी जोन के भवन मानचित्र/ले–आउट प्लान तब तक स्वीकृत न किये जायें, जब तक कि उस जोन का सरकुलेशन/रोड नेटवर्क प्लान नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित न हो जाये।

4– कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

के.एल. मीना

सचिव

संख्या–4074(1)/आठ–3–2006–55 विविध/2002(आ.ब.)(टी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।
2– आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश।
3– अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4– अध्यक्ष, नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
7– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनु सचिव